

16.09.2025:-पत्रावली आज वादी जरिय अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह राठोड द्वारा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली को पेशी मे लिया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण अपने वादपत्र मे आगे कोई कार्यवाही नही चाहते इसलिए प्रार्थी अपना वादपत्र नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति विद्वा करवाना चाहता है। वादी का वादपत्र आज ही पेशी मे लिया जाकर विद्वा फरमाया जावे। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र नयायाहित मे स्वीकार किया जाकर नया वाद पत्र प्रस्तुत करने कि अनुमति के साथ विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
लुधियाना